

क्रमांक/ई-पंचा./2018/09
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 25/05/2018

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स
स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)


विषय :- डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट बनाये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1010/मुकाअ./चिप्स/18/वेब., दिनांक 21.05.2018

— 00 —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विभाग द्वारा चिप्स के प्रस्ताव अनुरूप सरपंच एवं सचिव हेतु क्लास-II डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट दो साल की वैधता में होने वाले व्यय के लिये विभाग द्वारा सहमति दी जाती है।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट बनाये जाने पर होने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त अनुदान के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद से किया जायेगा, जिसका समन्वय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत करेंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को संचालनालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा अवगत करा दिया गया है।


उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(तारन प्रकाश सिन्हा)
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ. क्रमांक/ई-पंचा./2018/10
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 25/05/2018

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर